न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/92/2016

उनवान

1. भोजा पुत्र मोहन गुर्जर निवासी केरखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. प्रकाश पुत्र मोहन गुर्जर निवासी केरखेडा तहसील बिजौलिया
3. भवानी पत्नि मोहन गुर्जर निवासी केरखेडा तहसील बिजौलिया
4. श्रीकिशन पुत्र बालु गुर्जर निवासी केरखेडा मृतक के कायम मुकामः–
   4/1 देवराज पुत्र किशना गुर्जर निवासी केरखेडा
   4/2 श्रीमती लीला पुत्री किशना गुर्जर निवासी केरखेडा
   4/3 श्रीमती सन्तु पुत्री किशना गुर्जर निवासी केरखेडा
   4/4 श्रीमती मनभर पुत्री किशना गुर्जर निवासी केरखेडा
   4/5 राजवीर पुत्र पप्पु गुर्जर निवासी केरखेडा
   4/6 श्रीमती पप्पुडी पत्नि पप्पु गुर्जर निवासी केरखेडा
   4/7 सुश्री टीना पुत्री पप्पु गुर्जर नाबालिग जरिये माता श्रीमती पप्पुडी पत्नि पप्पु गुर्जर निवासी कैरखेडा
   4/8 सुश्री भजना पुत्री पप्पु गुर्जर नाबालिग जरिये माता श्रीमती पप्पुडी पत्नि पप्पु गुर्जर निवासियान केरखडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
5. गोपाल पुत्र बालु गुर्जर निवासी केरखेडा तहसील बिजौलिया
6. हीरा पुत्र बालु गुर्जर निवासी केरखेडा मृतक के कायम मुकामः–
   6/1 दुर्गेश पुत्र हीरा गुर्जर निवासी केरखेडा
   6/2 श्रीमती ललीता पुत्री हीरा गुर्जर निवासी केरखेडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. महावीर पुत्र मदन लाल नाबालिग जरिये माता श्रीमती शान्ति पत्नि मदन लाल निवासी केरखेडा
8. हंसराज पुत्र मदन लाल नाबालिग जरिये माता श्रीमती शान्ति पत्नि मदन लाल निवासी केरखेडा
9. नरेश पुत्र मदन लाल नाबालिग जरिये माता श्रीमती शान्ति पत्नि मदन लाल निवासी केरखेडा
10. बबलु पुत्र मदन लाल नाबालिग जरिये माता श्रीमती शान्ति पत्नि मदन लाल निवासी केरखेडा
11. नन्दा पुत्र नोला गुर्जर गुर्जर निवासी कैरखेडा
12. नारायण पुत्र नोला गुर्जर निवासी कैरखेडा
13. रामचन्द्र पुत्र नोला गुर्जर निवासी कैरखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण मुतबन्ना मोहन लाल ब्राह्मण निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. तहसीलदार, बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. श्रीमती मुर्ति देवी पत्नि श्रवण गुर्जर निवासी केरखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

----रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया लोक अदालत शिविर कैम्प, आंट के प्रकरण संख्या (11 / 2008) 82 / 2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.5.2015

अभिभाषक : 1. श्री आर सी सारस्वत , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री राकेश चौहान, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 26.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केरखेडा तहसील बिजौलिया में खाता संख्या 138 पर आराजी नम्बर 262 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा , 741/261 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 13 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण के नाम पर दर्ज चली आ रही है। हाल आराजी नम्बर 262 व 741/261 के साबिक आराजी खसरा नम्बर 73/2 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा दर्ज था। उक्त भूमि प्रतिवादी सत्यनारायण के दत्तक पिता मोहन लाल पिता नारायण शास्त्री ब्राह्मण निवासी बिजौलिया के खाते दर्ज थी। तत्कालीन खातेदार श्री मोहन लाल शास्त्री ब्राह्मण ने दिनांक 31.12.1974 को उक्त भूमि बिल एवज रूपये 2000/—में वादीगण संख्या 1 से 3 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 11 को 1/3 हिस्सा, एवं वादी संख्या 12 से 14 को 1/3 हिस्सा कुलिया भूमि आराजी नम्बर 73/2 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि का विक्रय पत्र वादीगण के पक्ष में दिनांक 22.1.1975 को उप पंजीयन कार्यालय बिजौलिया में निष्पादित कर दिया तथा विक्रय की गई भूमि का कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर दिया । तभी से वादीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी संख्या 1 से 3 के पिता मोहन लाल के नाम पर विक्रय पत्र का पंजीयन किया गया।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मोहन लाल का देहान्त हो जाने से एवं मदन लाल गुर्जर का देहान्त हो जाने से वादी संख्या 7 से 11 मृतक मदन लाल के उत्तराधिकारी होकर वादीगण है।

2. वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 262 एवं 741/261 रकबा 13 बीघा भूमि पर वादीगण काबिज होकर शांतिपूर्वक बिना किसी दखलन्दाजी के काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज चली आ रही है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 को वादीगण के नाम भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः आराजी खसरा नम्बर 262 एवं 741/261 रकबा 13 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पंजिबद्ध किया गया एवं दौराने विचारण प्रतिवादी संख्या 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विक्रेता मोहन लाल ने जब भूमि का विक्रय वादीगण को किया था तब विक्रेता गैर खातेदार था। वादीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह वर्जित है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र बाबत घोषणात्मक डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमें वादग्रस्त हाल आराजी खसरा नम्बर 262 एवं 741/261 रकबा 13 बीघा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 73/2 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि थे को तत्कालीन खातेदार मोहन लाल पिता नारायण ब्राह्मण से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 31.12.194 को बिल एवज 2000/—रू0 में अपीलार्थी संख्या 1 से 3 को 1/3 हिस्से से व अपीलार्थी संख्या 4 से 10 को 1/3 हिस्से से व अपीलार्थी संख्या 11 से 13 को 1/3 हिस्से से कुलिया भूमि का विक्रय रजिस्टर्ड पत्र द्वारा कर उसका निष्पादन दिनांक 22.1.1975 का उप पंजीयक कार्यालय बिजौलिया में करवा दिया तथा कब्जा अपीलार्थीगण/वादीगण को सुपुर्द कर दिया । तभी से उक्त भूमि पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। किन्तु उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के खाते मं दर्ज होने के कारण से और खरीददार मोहन लाल, मदन लाल व हीरा लाल गुर्जर का देहान्त होने से उक्त आराजी खरीददार के वारिसान के नाम पर दर्ज रेकार्ड नहीं हुई है। इसलिए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र को अस्वीकार किया तथा विक्रय पत्र दिनांक 22.1.1975 को अस्वीकार कर उक्त विक्रय पत्र कानूनी प्रभावी नहीं होने एवं वाद पत्र अवधि पार होने का निवेदन किया । जिस पर प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर अपीलार्थीगण की शहादत सम्पूर्ण की तथा प्रत्यर्थीगण की शहादत हेतु प्रकरण दिनांक 12.4.2012 से विचाराधीन था। जिसमें प्रत्यर्थी सत्यनारायण के बयान दिनांक 3.10.2017 को पंजिबद्ध किये गये । आदेशिका अनुसार दिनांक 8.10.2014 को प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया। जिसके तहत प्रकरण दस्तावेज पेश करने हेतु विचाराधीन था। दिनांक 28.5.2015 को बिना अपीलार्थीगण/वादीगण को सूचित किये उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखवाकर अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में भूमिधारी तहसीलदार द्वारा एक आवेदन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 28.5.2015 को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत किया गया । जिसकी प्रति अपीलार्थीगण को दिये बिना ही एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय निर्णित पारित करते हुए अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का गलत विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रकरण में चूंकि प्रतिवादी का जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका था एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बयान भी पंजिबद्ध किये जा चुके थे उसके उपरान्त प्रकरण तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना था। अपीलार्थीगण/वादीगण को सूचित किये बिना ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में गलत तरीके से निर्णित किया गया है। राजस्व लोक अदालत में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी की प्रति भी अपीलार्थीगण/वादीगण को उपलब्ध नहीं कराई गई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात तत्कालीन खातेदार मोहन लाल ब्राह्मण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी। वाद पत्र में भी गैर खातेदारी की भूमि का अभिवचन नहीं होकर खातेदारी भूमि का अभिवचन है। जिसकी ताईद राजस्व रेकार्ड जमाबंदी के द्वारा गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 73/2 से हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रावधानों के तहत कानूनी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रूप से बाधित नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सी पी सी में केवल अभिवचनों को देखा जाना है जिसके तहत यदि अभिवचनों के आधार पर वाद पत्र कानूनी रूप से बाधित है, तभी वह खारिज किया जा सकता है। चूंकि अभिवचन में खातेदारी भूमि का विक्रय अंकित किया गया है ऐसी स्थिति में अभिवचन में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो कि वाद पत्र को कानूनी रूप स बाधित करता हो। जवाब दावे में यदि प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति ली जाती है तब भी इन प्रावधानों के तहत प्रकारण को कानूनी रूप से बाधित नहीं माना जा सकता है। प्रकरण गुणावगुण पर खारिज किये जाने योग्य हो और उसका निर्णय अंतिम रूप से वादीगण के विरूद्ध होने की संभावना हो तब भी ऐसे प्रकरण को बाद साक्ष्य सबूत गुणावगुण पर अंतिम रूप से निर्णित कर खारिज किया जा सकता है किन्तु आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत कमजोर व खारिज योग्य प्रकरण पाए जाने पर भी खारिज किये जाने के प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2017 पेज 167 (एस सी), आर आर डी 2017 पेज 273 (एच सी) 2017 (1) सी जे (सिविल) राजस्थान पेज 103, 2017 (1) सी जे (सिविल) राजस्थान पेज 36, 2018 (1) सी जे (सिविल) राजस्थान पेज 448 प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

7. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.5.2015 को प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध पूर्व में ही एकतरफा कार्यवाही से ही आदेशित है। तहसीलदार भूमिधारी द्वारा कोई जवाब दावा ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमिधारी को उसके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराये बगैर कार्यवाही में भाग लेने का ही अधिकार नहीं है।

8. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/वादीगण को आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं न ही प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति ही उपलब्ध कराई गई थी। अपीलार्थीगण/वादीगण को राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को रखने की भी कोई सूचना नहीं दी गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात तत्कालीन समय में गैर खातेदार मोहन लाल आत्मज नारायण ब्राह्ण राजस्व रेकार्ड में दर्ज थे जिनसे अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात क्रय की थी। यह एक कानूनी बिन्दु है जिस पर न्यायालय कभी भी संज्ञान ले सकता है । भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज अभिलेख रहते उसका विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार वर्जित है। अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक उद्धरण आर आर डी 1990 पेज 598 पेश किया। यह भी कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत किया गया था । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वादग्रस्त वादग्रस्त हाल आराजी खसरा नम्बर 262 एवं 741/261 रकबा 13 बीघा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 73/2 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि थे को तत्कालीन खातेदार मोहन लाल पिता नारायण ब्राह्मण से दिनांक 31.12.194 को बिल एवज 2000/—रू0 में अपीलार्थी संख्या 1 से 3 को 1/3 हिस्से से व अपीलार्थी संख्या 4 से 10 को 1/3 हिस्से से व अपीलार्थी संख्या 11 से 13 को 1/3 हिस्से से कुलिया भूमि का विक्रय रजिस्टर्ड पत्र द्वारा कर उसका निष्पादन दिनांक 22.1.1975 का उप पंजीयक कार्यालय बिजौलिया में करवा दिया तथा कब्जा अपीलार्थीगण/वादीगण को सुपुर्द कर दिया । राजस्व रेकार्ड में नाम प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज होने से अपीलार्थीगण/वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात के खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका था। साक्ष्य वादी सम्पूर्ण होने के उपरान्त साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 1 के बयान भी पंजिबद्ध किये जा चुके थे। दिनांक 9.4.2015 को पत्रावली आदेश 7 नियम 14 पर बहस में लंबित थी।

11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.5.2015 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखा गया । प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत किया जिसकी प्रति भी अपीलार्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि यदि प्रतिवादी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया था तो उसकी प्रति अपीलार्थीगण को उपलब्ध कराकर उभयपक्ष को उस प्रार्थना पत्र पर विचारण कर उसका निस्तारण करना चाहिये था।

12. प्रकरण में चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका था। साक्ष्य वादी ली जाकर एवं प्रतिवादी संख्या 1 की भी साक्ष्य ली जा चुकी थी। शेष साक्ष्य हेतु पत्रावली लंबित थी।। ऐसी स्थिति में साक्ष्य पूर्ण कर तनकीवाईज गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना था। जहॉ तक आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा खातेदारी में खरीद होना बताया है एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गैर खातेदारी में खरीद होना बताया है। ऐसे प्रकरण में तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है जो आदेश 7 नियम 11 सी पी सी में इस स्टेज पर खारिज किया जाना उचित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 जब पूर्व में ही एकपक्षीय हो चुका था तो बिना एकपक्षीय आदेश खारिज किये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाना तकनीकी रूप से भी सही नहीं है। चूंकि प्रकरण में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण 2018 (1) सी जे (सिविल) राजस्थान पेज 448 एवं आर आर डी 2017 पेज 273 के परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करना उचित समझते हैं।

13. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.5.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर अज सिरे नो निर्णय पारित करे ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.06.18 को उपस्थित रहें।

14. निर्णय आज दिनांक 26.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

26/3/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा